

# फर्द अहकाम

नाम न्यायालय- न्यायालय उप ~~खण्ड~~ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, ~~राजसूरी~~ <sup>राजसूरी</sup>  
 केस संख्या 60/02 733/02 48/2003

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	315/18	कैबि उम्मापुट्ट उप.। पंजा- कैम नोटिफिकेशन में पचाटे है। पतावली क्रम 2415/18 को कैम नोटि में पेश हो।
	2415/18	आज भद्र पतावली राजसूरी अदालत में नोटि कासी उठाते पेश हुए हैं, पतावली का अब लोकन निरागता। उद्देश्य में नागरिक राज-उच्च आपाखर वास्तु आरा स्वयं आदेश जारी किया हुआ है। पतावली में कोई नार्मिणी नहीं की जा सकती है। मान-मापल के लगन होने से पतावली में नार्मिणी स्पष्टि की जाती है। आपाखर के निर्णय उपरान्त पक्षवार आदेशों उद्देश्य की उपा-उपबन्धि की जावेगी। पतावली में सब बुगाटरीन <del>लिखा है</del> <sup>की</sup> ।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट) आहपरा जिला-जयपुर (राजसूरी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पीएससी अधिकारी - श्री अनिल राजसूरी चाद संख्या - 60/2002

- उजवान मुकदमा
1. कालू
  2. दनुमान पि० बरु
  3. डाधचन्द
  4. मेवाशम पि० बरु
  5. उम्मेद
  6. बली नारायण जयपुर
  7. मु० कैशरी बेवा हरदेव

- बनाम
1. रामलाल
  2. भोलाराम
  4. रामदेव
  5. रामचन्द्र पि०
  6. मु० सोनी पुगी नारायणी बे

दावा इस्तफारतफ

संक्षेप में दा

आ० ए० न० 2534/1.20, 2536/2505/0.20, 2516/0.63, 2443/पत्तार-एलका अनेदरुदर एवं आ 522/0.19, 523/0.23, 510/0.08. 504/0.24, 506/0.21, 501/0.20, 508 516/0.26, 517/0.24, 503/539/0. शातपुरा पर काडीगाच एवं प्रति एं पर्वमान में भी काकिज है। मृतक का खास खगा बड़ा भाई फर्ची खालेदारी एवं सेलमेन्ट की कालू, दनुमान एवं मृतक कलकर करा दिया था लेकिन फर्चा कायम मुकाम काडी सं० 3 लागू काडीगाच एवं प्रति काडीगाच का खसरा खेडू राम

